न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1– अपील/एल0आर0/176/2005/हनुमानगढ

गुलाम मोहम्मद पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 17, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट....

बनाम

1– रामस्वरूप पुत्र श्री मनीराम जाति स्वामी (मृतक जरिये वारिसान)

1/1– मु0 मन्जू पुत्री रामस्वरूप

1/2– शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप

1/3– रामनिवास पुत्र रामस्वरूप

1/4– गीता पुत्री रामस्वरूप

1/5– तारावती पत्नी रामस्वरूप

सभी निवासीगण ग्राम गणेशपुर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भादरा जिला हनुमानगढ़।

रेस्पो0.....

2. अपील/एल0आर0/635/2005/हनुमानगढ

गुलाम मोहम्मद पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 17, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट ....

बनाम

1– भंवरू खां पुत्र मुश्ताक अली (मृतक जरिये वारिसान)

1/1 शहनाज बानो पुत्री

1/2 मुबिना बानो पुत्री

1/3 रूबी बानो पुत्री

1/4 रूकसार पुत्री

1/5 नवाजीश खान पुत्र

समस्त जाति कायमखानी निवासी वार्ड नंबर 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2– रामस्वरूप पुत्र श्री मनीराम जाति स्वामी (मृतक जरिये वारिसान)

2/1– मु0 मन्जू पुत्री रामस्वरूप

2/2– शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप

2/3– रामनिवास पुत्र रामस्वरूप

2/4– गीता पुत्री रामस्वरूप

2/5– तारावती पत्नी रामस्वरूप

सभी निवासीगण ग्राम गणेशपुर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भादरा जिला हनुमानगढ़।

रेस्पो0

एकलपीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट
श्री मनीष पाण्डिया, अभिभाषक रेस्पो0 1/1 से 1/3 के
श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक रेस्पो0 2/1 से 2/5 के

निर्णय

दिनांकः 12.09.2023

1– उक्त दोनों अपीलें अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ, दिनांक 13.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित आराजी एवं विधिक बिन्दु समान होने के कारण उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक से दोनों अपील प्रकरणों में लगायी जावे।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 रामस्वरूप ने एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष–2001 में प्रस्तुत कर चक 10 बारानी तहसील भादरा के मुरबा नंबर 31 के किला नंबर 13, 18 एवं 23 कुल किता 3 और कुल रकबा 3 बीघा भूमि स्माल पेच में आवंटन करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने आदेश दिनांक 16.01.2002 से विवादित आराजी रेस्पो0 रामस्वरूप को स्माल पेच

में आवंटन कर दी। जिसकी अपीलांट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी प्राप्त होने पर अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के साथ प्रस्तुत की। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–10–2004 के द्वारा विलंब को क्षमा करते हुये अपीलांट की अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

इसी प्रकार रेस्पो0 भंवरू खां ने उपखण्ड अधिकारी, नोहर के आवंटन आदेश दिनांक 16.01.2002 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष एक अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.10.2004 से स्वीकार करते हुये अनावश्यक निर्देश दे दिये। जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि चक संख्या 10 के किला नंबर 13 को भी अन्य भूमि के साथ–साथ रेस्पो0 भंवरू खां को दिये जाने के आदेश पारित कर दिये। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.10.2004 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 भंवरू खां ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में यह आधार लिया कि विवादित आराजी रामस्वरूप को आवंटन के पूर्व ही मु0 माना को आवंटित भमि थी इसलिये पश्चातवर्ती आवंटन बहाल नहीं रखा जा सकता। तथा यही आधार अपीलांट ने अपनी अपील में लिया है कि चक संख्या 10 का किला नंबर 13 की भूमि वर्ष 1959 में ही उसके पिता कमरदीन को आवंटित की जा चुकि थी इसलिये पश्चातवर्ती आवंटन अविधिक है। इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने 1969 के आवंटन को सही मानते हुये पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 19.10.1972 को अत्यधिक महत्व देते हुये जो निर्देश दिये है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया कि बिला नाम सिवाय चक भूमि का ही आवंटन हो सकता है तथा विवादित आराजी अपीलांट के पिता कमरूद्दीन को विधिवत तौर पर दिनांक 05–02–1959 को उपायुक्त उपनिवेशन, हनुमानगढ़ द्वारा आवंटित की गई

थी जिसकी समस्त किश्तें आवंटी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई थी। फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट की आवंटित भूमि को अन्य को आवंटित कर दी जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2004 को अपीलाधीन आदेश से निरस्त करने संबंधी बिन्दू है। उसके लिये प्रार्थी का निवेदन है कि दिनांक 27.05. 2004 का निर्णय एवं डिक्री धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की अपील में पारित किया गया था तथा कानुनन उक्त डिक्री के विरूद्ध धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत ही पक्षकार द्वारा नजरसानी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को सुओमोटो नजरसानी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र बाबत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया था परंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही अपील को निर्णित कर दिया जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जरिये लिखित बहस कथन किया कि मु0 माना ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19-10-1972 को भाकरा प्रोजेक्ट आवंटन एवं विक्रय नियम, 1955 की धारा 17(2) के अंतर्गत जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर कैंप भादरा के समक्ष दिनांक 19-10-1972 को प्रस्तुत किया गया चूंकि उक्त भूमि उस समय सिवायचक भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उनका कथन है कि मु0 माना का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर जिला कलेक्टर, श्रीगंगागनर ने संपूर्ण विधिवत जांच कर किमतन 787/- रूपये 50 पैसे में पुख्ता आवंटन तथा दिनांक 19-10-1972 को विवादित आराजी आवंटीत कर दी गई थी तथा उसकी समस्त किश्तें दिनांक 16-11-1972 को ही मु0 माना द्वारा जमा करवा दी गई थी एवं उक्त भूमि की खातेदारी भी प्राप्त कर ली गई। मु0 माना ने उक्त भूमि वर्ष 1981 में रेस्पो0 भंवरू खां को वसीयत कर दी एवं वर्ष 1981 में माना के फौत हो जाने के बाद रेस्पो0 भंवरू खां ही विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी रेस्पो0 भंवरू खां के कब्जे काश्त में होने के बावजूद भी उन्हें बिना सुनवाई का

अवसर प्रदान किये डबल आवंटन दिनांक 16–01–2002 को रामस्वरूप पुत्र मनीराम को आवंटन कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 16–01–2002 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 भंवरू खां ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुये रेस्पो0 को किया गया आवंटन अपास्त कर दिया एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वे जांच करे कि जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 19.10.1972 को जो आवंटन किया गया था उसकी किश्तें राजकोष में जमा हुई है या नहीं। यदि जमा हो गई है तो कब्जा रेस्पो0 भंवरू खां का रहेगा नहीं तो उक्त समस्त भूमि का नये सिरे से सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना देकर पुनः विधिवत रूप से नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाये। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपनी अपील में यह कहा कि विवादित आराजी उसके पिता कमरूद्दीन को दिनांक 05.02.1959 को आवंटित की गई थी जिसकी समस्त किश्ते राजकोष में जमा करवा दी। उसके बावजूद विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। जिस बाबत अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय में घोषणा का दावा सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो दिनांक 20.02.2003 को डिक्री कर अपीलांट को खातेदार घोषित किया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 27.05.2004 से यथावत रखा। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2004 का पुनरावलोकन किया गया जिसमें उक्त निर्णय दिनांक 27.05.2004 को निरस्त करते हुये दिनांक 20.02.2003 घोषणा के दावे की डिक्री को भी निरस्त कर दिया गया। उक्त पुनरावलोकन आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने कोई चाराजोही नहीं की। इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री का कोई महत्व नहीं रहा। जब घोषणा की डिक्री को पुनरावलोकन आदेश से निरस्त कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में मु0 माना को जो आवंटन हुआ वह सही था। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2004 विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के संपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों अपीलें प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय दिनांक 13–10–2004 द्वारा उनके यहां विचाराधीन अपील संख्या 19/2003 एवं 37/2003 का अंतिम निस्तारण किया गया। इस अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–10–2004 में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उनकी पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत अपने निर्णय के पैरा संख्या 4 में अंकित किया है कि :–

‘‘ अपीलांट गुलाम मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत नकल सेल रजिस्टर के अवलोकन से पाया जाता है कि इस रजिस्टर में अंकित नोट के अनुसार एकीकरण जमाबंदी में मु0नं0 31 के किला नंबर 13 को आराजी राज दर्ज किया गया है। अतः अपीलांअ गुलाम मोहम्मद इस किला को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिला कलेक्टर, श्रीगंगागनर के आदेश दिनांक 19.10.72 द्वारा मु0 माना को किल नंबर 13/0.15 व 18 का 1.00 बीघा आवंटन किया गया है। यदि मु0 माना द्वारा इस भूमि की किश्तें भरा दी गई है अथवा नहीं इस बाबत जांच की जानी आवश्यक है। इस संबंध में तहसीलदार, भादरा के अभिलेख के आधार पर जांच करे कि क्या इस भूमि की किश्ते भरी जा चुकि है? यदि भरी गई है तो विवादित भूमि का कब्जा मु0 माना के वारिस को दिया जाना न्यायसंगत है। अन्यथा विवादित भूमि को आराजी राज दर्ज कर पुनः पड़ोसियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार स्माल पेच नियमों के तहत आवंटन किया जावें। अपील के इस निर्णय के जरिये अपील संख्या 179/2003 राजस्थान सरकार बनाम गुलाम मोहम्मद पुत्र कमरदीन के फैसले दिनांक 27.5.04 को पुनरावलोकन किया गया है। अतः दिनांक 27.5.04 का फैसला निरस्त समझा जावें।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।’’

8– इस प्रकार उक्त निर्णय के अवलोकन और दोनों अपील प्रकरणों के साथ संलग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के संबंध में एक से अधिक बार आवंटन प्रक्रिया अमल में लाया जाना पाया जाता है। इस स्थिति में कौनसा आवंटन सही एवं विधिसम्मत है इस संबंध में सभी दस्तावेजात की जांच एंव परीक्षण करने के उपरांत ही किसी विधिसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

13–10–2004 जिसके द्वारा उन्होने प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोहर को इस जांच करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वादग्रस्त भूमियों की सभी संबंधित किश्तें राजकोष में जमा हुई है या नहीं। यदि जमा हो गई है तो कब्जा संबंधित जमाकर्ता आंवटी का रहेगा नहीं तो उक्त समस्त भूमि का नये सिरे से सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना देकर पुनः विधिवत रूप से नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाये। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय न्यायसंगत एवं विधिसंगत पाया जाता है।

9– परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–10–2004 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य